कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:– एफ 2 (परिपत्र) 13/विधि/प्रमुवसं/ 5287-5387 दिनांक 11/8/23

समस्त उप वन संरक्षक/भू–संरक्षण अधिकारी
राजस्थान।

## परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में जिलों का पुर्नगठन कर 3 नये संभागों एवं 19 नये जिले बनाये गये हैं। इन नये संभागों एवं जिलों में वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक / उप वन संरक्षक स्तर के नये कार्यालय खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पूर्व के वर्षों में प्रायः यह देखा गया है कि विभागीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन होने पर संबंधित कार्यालयों द्वारा संबंधित क्षेत्र से संबंधित लम्बित न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियां को बिना सक्षम स्वीकृति के अथवा प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश में परिवर्तन कराये बिना ही नवीन कार्यालयों में हस्तान्तरित कर दी जाती है। इस प्रकार बिना सक्षम स्वीकृति के न्यायिक पत्रावलियों के हस्तातरण के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष पैरवी कराये जाने में विधिक बिन्दु का प्रश्न उत्पन्न होता है तथा विभागीय पक्ष प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना रहती है।

अतः समस्त वनाधिकारीगण, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि नवीन संभागों/ जिलों के सृजन से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण न्यायिक प्रकरणों से संबंधित पत्रावलियों में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश में आवश्यक रूप से सक्षम स्तर से परिवर्तन कराये जाने के उपरान्त ही पत्रावलियां नवीन कार्यालय को हस्तान्तरित किए जाने की कार्यवाही की जाये।

उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाये।

(वैंकटेश शर्मा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
श्रम एवं विधि
राजस्थान,जयपुर

क्रमांक:– एफ 2 (परिपत्र) 13/विधि/प्रमुवसं/ दिनांक

प्रतिलिपि समस्त संभागीय मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपसे क्षेत्राधीन कार्यालयों में परिपत्र में उक्तानुसार दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे।

(वैंकटेश शर्मा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
श्रम एवं विधि
राजस्थान,जयपुर

DCF (I.T.)
कृपया परिपत्र को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
11/8/23

(राधा नागर)
संयुक्त विधि परामर्शी
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
जयपुर।

IA
DCF (IT)
16/8

D:\C K I\JAGDISH\ofice order.doc